

83, 84

Carb
1

राजस्थान सरकार

प्रपत्र-8

उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, चांदेर
(पीठासीन अधिकारी लोक अदालत/कैम्प कोर्ट) कैम्प जालर

-:आदेश:-

गणों के "खाता सुरक्षा" प्रार्थना पत्र एवं पटवारी जालर व भू.अ.नि. ढोक
की रिपोर्ट तथा तहसीलदार-चांदेर/नायब तहसीलदार चांदेर की अनुशंसा के आधार पर राजस्थान
राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 196 के अनुसार में ग्राम चांदेर तहसील चांदेर व जिला कन्नूर
में खाता संख्या 30, 15, 25, 28 में वर्तमान में दर्ज प्रविष्टि को
निम्न लिखित रूप से शुद्ध किया जाकर राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद के आदेश दिये जाते हैं :-

क्र.सं.	ग्राम	खाता संख्या	वर्तमान प्रविष्टि (अशुद्ध प्रविष्टि)	आदेश (शुद्ध प्रविष्टि जो राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज की जानी है)
1	<u>जालर</u>	30	<u>काम मेगवाली</u>	<u>काम मेगवाली</u>
2		15	<u>कूमाराम</u>	<u>कूमाराम & काला लाल</u>
3	<u>हनुमानपुरा</u>	25	<u>राम राम</u>	<u>राम लाल & हनुमान लाल</u>
4	<u>मेघवर</u>	28	<u>राम लाल</u>	<u>राम लाल & हनुमान लाल</u>
5				



(2/3)
पीठासीन अधिकारी
लोक अदालत
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर, चांदेर

दिनांक :-

संज्ञक :-

संदर्भ :-

1. तहसीलदार चांदेर को भेजकर लेख है कि आदेशानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद शीघ्र किया जाकर
रिपोर्ट भिजवाये।
2. कार्य की सूचना।
3. तहसील पत्रावली।

5/1
पीठासीन अधिकारी
लोक अदालत
उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर,
चांदेर